

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री वृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर 46/2024 तारीख रजू 4.10.2024 तारीख निर्णय 29.8.2025

1. गुलाबदेवी पत्नी स्व० मांग्या, गुर्जर निवासी बाढ भांवता तह० तलावडा
2. चन्दन सिंह पुत्र मांग्या, गुर्जर निवासी बाढ भांवता तह० तलावडा
3. रोशन सिंह पुत्र धारासिंह, गुर्जर निवासी बाढ भांवता तह० तलावडा
4. बाबूलाल पुत्र मांग्या, गुर्जर निवासी बाढ भांवता तह० तलावडा —प्रार्थीगण
बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार तलावडा —अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज० अधिनियम
उपस्थित :- श्री तरुण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि हाल ख०न० 232/201 रकबा 0.19 है० ग्राम बाढ भांवता मे स्थित है। जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा बाबत चारो ओर से मिट्टी की डौल मेड बनायी हुई है। बरसात काल मे मिट्टी की डौल मेड टूट जाने पर उसकी मरम्मत करवाने पर आस पास के खातेदारों से सीमाचिन्हों को लेकर विवाद होता रहा है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 232/201 रकबा 0.19 है० ग्राम बाढ भांवता की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076 खाता संख्या 31 ग्राम बाढ भांवता, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट बाढ भांवता दिनांक 28.06.2022 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि ख०न० 232/201 रकबा 0.19 है० ग्राम बाढ भांवता तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थीगण को पड़ोसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी



(2)

खातेदारी भूमि ख0न0 232/201 रकबा 0.19 है0 ग्राम बाढ भांवता तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र परीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 232/201 रकबा 0.19 है0 ग्राम बाढ भांवता तह0 तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजन्द्र मीना)
उप-जिला कलक्टर
गंगानपुर जिला (राज.)